

दीर्घा वरियाएड - 208/23

09-05-26

उभयपक्ष भाष राष्ट्रीय लोक अदालत की पीठ के
द्वारा उपस्थित हुए। उभयपक्ष के मध्य
यक़्सीन ही चुका है। यक़्सीन के आधार पर
वह को राष्ट्रीय लोक अदालत में निष्पादित
किया जाता है। कार्यलय अधिकृत को
नियमानुसार अधिकृतखाना में जमा करें।

दरदर
Shahid Kiemer

न्यायिक सदस्य